

- अर्चना -


उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। जब तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अर्थात् इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूरा इन्दाज					रखीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्त का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
दीगसर	144	बगतावर सिंह पुत्र	677	0.8990	बबलावर सिंह	677	0.8990
		धुबला सिंह आनि	392		पुत्र धाकल सिंह	392	
		राजपूत आ-देह खतियार बहिन बहबदूर	1	0.8990	आनि राजपूत आ- देह खतियार बहिन बहबदूर	1	0.8990

क्रमांक :- 841/21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-


- उप तहसीलदार, मौलासर



 श्री. प्रसाद
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीहड़नागा)
 2023-2021, प.प. मौलासर
 दिनांक -

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य पटवार का रकबा नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्रवाही सुनिश्चित करें।


 श्री. प्रसाद
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीहड़नागा)
 2023-2021, प.प. मौलासर
 दिनांक -


 उप तहसीलदार, मौलासर
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प.प. मौलासर)
 जिला नगीर (राज.)